मि.सं. Admn.13-1/2024-R&P
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय
(भर्ती एवं नीति)

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 22 जुलाई, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: फाइलों पर कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने तथा इसे प्रस्तुत करने के स्तरों में कमी किए जाने के संबंध में।

परिषद् के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 16.06.2026 का संदर्भ आमंत्रित है, जिसके माध्यम से शक्तियों के प्रभावी प्रत्यायोजन तथा फाइलों को प्रस्तुत करने के स्तरों में कमी किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे तथा यह भी निर्देशित किया गया था कि निर्णय लेने हेतु कोई भी फाइल तीन स्तरों से अधिक न चले तथा उसका अनुमोदन चौथे स्तर पर किया जाए, ताकि विलंब में कमी लाई जा सके तथा मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित हो सके। इस बीच, मंत्रिमंडल सचिवालय ने अपने अवलोकन (संख्या OBS/3675 दिनांक 21.05.2026) के माध्यम से फाइलों के विभिन्न स्तरों पर प्रारंभ किए जाने में लचीलापन अपनाने, जटिल मामलों में विचार-विमर्श (Brainstorming) करने तथा अनावश्यक मुक़दमेबाज़ी से बचने के लिए पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णयों का गहन परीक्षण किए जाने की सलाह दी है।

2. तदनुसार, उक्त के संदर्भ में निर्णय-प्रक्रिया में तीव्रता लाने तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR) में प्रशासनिक दक्षता में सुधार के उद्देश्य से निम्नलिखित महत्वपूर्ण परामर्श प्रसारित किए जाते हैं:-

(i) फाइलों का प्रारंभ प्रशासनिक पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों से किया जा सकता है तथा यह आवश्यक नहीं होगा कि प्रत्येक फाइल का प्रारंभ अनिवार्य रूप से निम्नतम प्रशासनिक स्तर से ही किया जाए। इससे विषय की प्रकृति एवं उसकी तात्कालिकता के अनुरूप आवश्यक लचीलापन उपलब्ध होगा।

(ii) जटिल प्रकृति के मामलों में वरिष्ठ स्तर के अधिकारी निर्णय लेने से पूर्व विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर विषय के सभी पहलुओं पर मंथन (Brainstorming) करें। तत्पश्चात्, सुविचारित निर्णय पर पहुँचने के उद्देश्य से प्रकरण को फाइल पर प्रस्तुत किया जाए।

(iii) किसी भी मामले में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व सभी संबंधित प्राधिकारी उस विषय से संबंधित पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णयों एवं विधिक दृष्टांतों (Legal Precedents) का सम्यक् परीक्षण सुनिश्चित करेंगे, ताकि मुक़दमेबाज़ी की संभावना को न्यूनतम किया जा सके।

3. यह कार्यालय ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सभी संबंधित लोगों की जानकारी एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु जारी किया जाता है।

22/7/26

(हिमांशु कुमार)
अवर सचिव (भर्ती एवं नीति)

वितरण:

1. भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय के सभी उप-महानिदेशक।
2. भा.कृ.अनु.प. के सभी संस्थानों/ब्यूरो/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों (NRCs)/परियोजना निदेशालयों (PDs)/कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों (ATARIs) के निदेशक/परियोजना निदेशक।
3. भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय की स्वतंत्र इकाइयों के सहायक महानिदेशक/सभी प्रभागों/इकाइयों/अनुभागों के अध्यक्ष।
4. निदेशक (त.स.) को, उनके दिनांक 14.07.2026 के ई-मेल के संदर्भ में, जिसके द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय के अवकोकन अग्रेषित किए गए थे।
5. महानिदेशक, भा.कृ.अनु.प. के प्रधान निजी सचिव अधिकारी/सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/वित्तीय सलाहकार, (DARE/ भा.कृ.अनु.प.) के निजी सचिव।
6. ई-ऑफिस सूचना पट्ट।
7. मीडिया इकाई, भा.कृ.अनु.प. — भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।

F.No. Admn.13-1/2024-R&P
Indian Council of Agricultural Research
ICAR Headquarters
(Recruitment & Policy)

Krishi Bhawan, New Delhi -110001
Dated: 22nd July, 2026

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Streamlining of file processing and reduction in the channel of submission—reg.

Reference is invited to this Council's OM of even number, dated 16.06.2026, regarding effective delegation of powers and reduction in the channel of file submission, with further instructions that no file shall move through more than three levels for decision-making and should be approved at fourth level, in order to reduce delays and ensure quicker disposal. Meanwhile, the Cabinet Secretariat, vide Observation No. OBS/3675 dated 21.05.2026 advised for flexibility in initiation of files at various levels, brainstorming in complex matters, and thorough examination of earlier judgments to avoid unnecessary litigation.

2. Accordingly, in this context, following important advices are circulated for expediting decision-making and to improve administrative efficiency across the ICAR system:-

i) Files may be initiated at various levels of the hierarchy and need not necessarily originate from the lowest administrative level, thereby providing necessary flexibility based on the nature and urgency of the matter.
ii) Furthermore, in respect of complex issues, officers at higher levels are advised to first have discussions with officers at different levels to brainstorm all aspects of the matter and accordingly, the case may be processed on file for arriving at a well-considered decision.
iii) Additionally, before taking a final view on any matter, all concerned authorities shall thoroughly examine earlier judgments and legal precedents related to the issue, so as to minimise the possibility of litigation.

3. This is issued with the approval of the Competent Authority for information and further necessary action by all concerned.

22/07/2026

(Himanshu Kumar)
Under Secretary (R&P)

Distribution:

1. All the DDGs at ICAR HQ.
2. Directors/Project Directors of all ICAR Institutes/Bureax/NRCs/PDs/ATARIs.
3. ADGs of Indepndent Units/All Divisions/Unit/Section Heads of ICAR HQ.
4. Director (TC) with reference to her email dated 14.07.2026 w.r.t. Cabinet Observations.
5. PSO to DG, ICAR/Sr. PPS to Secretary, ICAR/PPS to FA, DARE/ICAR.
6. E-Office Notice Board.
7. Media Unit, ICAR- for uploading on ICAR website.